UPMB010023882022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, महोबा।

पीठासीन अधिकारीः—देवेन्द्र सिंह—प्रथम(उच्चतर न्यायिक सेवा)—**UP6554**

दाण्डिक निगरानी संख्या—89/2022

विद्यादेवी पत्नी श्री रामपाल उम्र 42 वर्ष, निवासी मु0 कीरत सागर तिराहा के पास पतीबरा महोबा, थाना व जिला महोबा। .....निगरानीकर्ती।

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश

2. ब्रजेश शर्मा पुत्र अज्ञात निवासी मु0 नन्दबाबा भवन के पीछे कीरत सागर तिराहा पतीबरा महोबा, थाना व जिला महोबा। .....विपक्षीगण।

अन्तर्गत धारा—397 दं0प्र0सं0
थाना—कोतवाली महोबा
जिला—महोबा।

निर्णय

यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ती विद्यादेवी द्वारा न्यायालय सिविल जज, जू0डि0, एफ0टी0सी0/महिलाओं के विरूद्ध अपराध मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा परिवाद संख्या—928/2021, कम्प्यूटर संख्या—4830/2021 विद्यादेवी बनाम बृजेश शर्मा आदि में पारित आदेश दिनांकित 08.03.2022 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ती के परिवाद पर विपक्षी बृजेश शर्मा को मात्र 323 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब किया है।

मामला इस प्रकार है कि निगरानीकर्ती/परिवादिनी ने एक परिवाद विपक्षी बृजेश कुमार शर्मा के विरूद्ध दाखिल किया। उसके द्वारा अपने धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान में यह कथन किया गया कि उसके पति आई.टी.बी.पी. में कार्यरत हैं तथा उसके साथ नहीं रहते हैं। महोबा में उसके पति छुट्टियों में घर आते हैं। जहां पर उसके बच्चे साथ रहते हैं। घटना दिनांक 27.01.2018 की है। बृजेश शर्मा, भाग्यश्री, भगवती उसके घर में घुस आये। उस समय उसके भाई नारायण दास उसके साथ घर पर था। उसके भाई की उम्र लगभग 38 वर्ष है। उसके पति के न रहने के कारण बृजेश शर्मा परेशान करता है। उसके बाजार जाने पर वह उसका पीछा करता है। भगवती देवी बृजेश शर्मा की किरायेदार है। घटना के दिन सभी विरोधी उसके घर में घुस आये थे। सभी विरोधियों ने उसे लातघूसों व डण्डों से मारा और उसे गालियां दे रहे थे। उसे चोट हाथ में और पैर में आई थी। उसके भाई ने उसे बचाया था। उसे बचाने सिर्फ उसका भाई आया था। बाद में कुछ लोग आये थे। उसके साथ मारपीट करने का करण उस पर दबाव डालने का था। उसके पति के बाहर होने के कारण यह व्यक्ति उसे परेशान करता है।

निगरानीकर्ती/परिवादिया ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं का बयान धारा 200

Digitally signed by Devendra Singh
Date: 2022.11.21 11:07:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दं0प्र0सं0 एवं धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 के रूप में नारायणदास को परीक्षित कराया, जिसने घटना का समर्थन किया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादिया के परिवाद पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली का परिशीलन करने के पश्चात मात्र विपक्षी बृजेश शर्मा को ही विचारण हेतु 323 भा0दं0सं0 में तलब किया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। दिनांक 27.01.2018 को निगरानीकर्ती के पड़ोसियों ब्रजेश शर्मा उसकी पत्नी भाग्यश्री तथा भगवती देवी पत्नी मनोज कुमार ने शाम 6.00 बजे उसके घर के अन्दर घ ुसकर मारापीटा, गाली–गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी, लेकिन उक्त मामले की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखे जाने के कारण उसके द्वारा अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 09.03.2018 को ब्रजेश शर्मा, भाग्यश्री तथा भागवती देवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली महोबा में मु0अ0सं0–153/2018 में पंजीकृत हुआ था, जिसमें बाद विवेचना पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में उपरोक्त अभियुक्तगण के पक्ष में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। पंजीकृत कराये गये उपरोक्त अपराध में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित होने के पश्चात् निगरानीकर्ती द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 25.08.2021 को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर बाद सुनवाई विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2021 को पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट खारिज करके उक्त मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया था, तत्पश्चात निगरानीकर्ती द्वारा अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 स्वयं का तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 नारायण पुत्र माखनलाल का बयान दर्ज कराया था। गवाहान ने अपने बयानों में ब्रजेश शर्मा, भाग्यश्री व भगवती के घर के अन्दर घुसने, मारपीट करने, गाली–गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने जैसे सारवान तथ्य व साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ती के साथ हुई उक्त घटना का जिला चिकित्सालय महोबा में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था, जिसमें भी उसके शरीर में लाठी–डण्डा की चोट डाक्टर द्वारा चोट प्रपत्र दिनांक 29.01.2018 में उल्लिखित की थी, जिसका साक्ष्य विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है, लेकिन विद्वान न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सही विवेचना न करके अविधिक आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 08.03.2022 निरस्त करते हुये विधि अनुसार साक्ष्यों के आधार पर सही आदेश पारित करने की याचना की गयी।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुकूल है। विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश की पुष्टि करते हुये निगरानी खारिज की जाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुनने तथा प्रश्नगत आदेश व पत्रावली का परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादिया द्वारा प्रस्तुत धारा 200 दं0प्र0सं0 व धारा 202 दं0प्र0सं0 के बयानों का परिशीलन करने के पश्चात विपक्षी संख्या–2 ब्रजेश शर्मा के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 323 का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुये तलब किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ती/परिवादिया के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 का उल्लेख अपने प्रश्नगत आदेश में किया है जिसमें निगरानीकर्ती/परिवादिया ने अपने परिवाद का समर्थन करते हुये घटना दिनांक को विपक्षी संख्या–2/अभियुक्त ब्रजेश शर्मा, भाग्यश्री व भागवती के साथ निगरानीकर्ती के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट, गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ती/ परिवादिया द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में यह उल्लेख नहीं किया है कि ब्रजेश, भाग्यश्री व भागवती के साथ उसके घर में किस बात को लेकर घुस आया और किन कारणों से उसके साथ मारपीट की गयी, मात्र यह कहा गया है कि उसके पति के न रहने के कारण ब्रजेश शर्मा उसे परेशान करता है और उसके बाजार जाने पर उसका पीछा करता है। निगरानीकर्ती/ परिवादिया द्वारा किसी प्रकार के पूर्व रंजिश आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु निगरानीकर्ती/परिवादिया द्वारा उसे आयी चोटें के सम्बन्ध में आघात आख्या कागज संख्या–13ख प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे कुल तीन चोटें आना दर्शित है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष ग्रहीत किये गये हैं, वे विधिसंगत है। फलस्वरूप इस दाण्डिक निगरानी के माध्यम से प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश की पुष्टि किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी खारिज की जाती है और विद्वान सिविल जज, जू0डि0, एफ0टी0सी0/महिलाओं के विरूद्ध अपराध मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा परिवाद संख्या–928/2021, कम्प्यूटर संख्या–4830/2021 विद्यादेवी बनाम बृजेश शर्मा आदि में पारित आदेश दिनांकित 08.03.2022 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित हो।

दिनांकः19.11.2022

(देवेन्द्र सिंह–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
महोबा।

निर्णय, आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः19.11.2022

(देवेन्द्र सिंह–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
महोबा।